

न्यायालय:- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर(पाली)

पीठासीन अधिकारी :-श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

सर्व वाद संख्या :- 85/2019

प्रकरण दर्ज तिथि :- 09.08.2019

जीसीएमएस नम्बर :- 2019/00009

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. महादेव जोयद पुत्र खुमाराम उम्र 30 वर्ष जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया कलौ तहसील जैतारण हॉल इन्दौर (मध्यप्रदेश)

1. मंगलाराम पुत्र उरजा
2. पोकरराम पुत्र उरजा
3. मोहनलाल पुत्र उरजा
4. नाथुराम पुत्र उरजा
5. चेला पुत्र उरजा
6. हंजा पत्नि उरजा
7. अनाराम पुत्र केसाराम
8. पुखाराम पुत्र अनाराम
9. संतोष देवी पुत्री अनाराम
10. चौथी देवी पत्नि घीसाराम
11. मलाराम पुत्र दुदाराम
12. ताराराम पुत्र ढगलाराम
13. तोलाराम पुत्र ढगलाराम
14. दीना पुत्री ढगलाराम
15. नर्बदा पुत्री ढगलाराम
16. मैना देवी पत्नि ढगलाराम
17. पदमा पुत्र कुना
18. हरिया पुत्र कुना फौत के का.मु.
- 18.1. लक्ष्मण पुत्र हरिया
- 18.2. प्यारेलाल पुत्र हरिया
- 18.3. राजु पुत्र हरिया
- 18.4. अशोक पुत्र हरिया
- 18.5. चौथी देवी पत्नि हरिया
19. गोपा पुत्र कुना फौत के का.मु.
- 19.1. नारायण पुत्र गोपा
- 19.2. रामपाल पुत्र गोपा
- 19.3. मदन पुत्र गोपा
- 19.4. भंवरी देवी पत्नि गोपा
- 19.5. ओम पुत्र गोपा फौत के का.मु.
- 19.5.1 सुरज पुत्र ओम
- 19.5.2. गोतम पुत्र ओम
- 19.5.3. ममता पुत्री ओम
- 19.5.4. शारदा पुत्री ओम
20. सन्तोष पुत्री जेठाराम
21. किरण पुत्री जेठाराम
22. सुन्दरी पत्नि जेठाराम
23. मुलाराम पुत्र बुधा
24. किशन पुत्र बुधा
25. विनोद पुत्र बुधा
26. सोनी देवी पत्नि बुधा
27. नेनीया पुत्र पुरा फौत के का.मु.
- 27.1. रूगाराम पुत्र नेनीया
- 27.2. घेवरराम पुत्र नेनीया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (पाली)

- 27.3. बालुड़ी पुत्री नेनीया
- 27.4. कमला पुत्री नेनीया
- 27.5. हंजा पत्नि नेनीया
28. मांगीया पुत्र जोरा
29. वरदा पुत्र जोरा
30. भोमा पुत्र जोरा
31. नारायण पुत्र झाला
32. गुलाबी पुत्री झाला
33. उमाराम पुत्र भुरा
34. मुलाराम पुत्र भुरा
35. डाली पुत्री भुरा
36. गोविन्द पुत्र वना
37. हुकमाराम पुत्र वना
38. गंगा पुत्री वना
39. कमला पुत्री वना
40. बालुड़ी पत्नि वना जातियान मेघवाल निवासीगण कालाकोट
41. तहसीलदार रायपुर

**दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 53, व 188  
राज. काश्त. अधि.**


उपस्थित 1 श्री जसवन्तसिंह सांखला अधिवक्ता वादी

2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

**निर्णय**

दिनांक 10.04.2023


वादी की ओर से वकील श्री जसवन्तसिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 53, व 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कालाकोट पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा नंबर 312 रकबा 07.13 बिघा, ख.स. 314 रकबा 09.16 बिघा, ख.स. 315 रकबा 01 बिस्वा, ख.स. 316 रकबा 12.04 बिघा, ख.स. 316/1 रकबा 11 बिस्वा, ख.स. 317 रकबा 09 बिघा, ख.स. 408 रकबा 22.14 बिघा, ख.स.408/1 रकबा 11 बिस्वा, ख.स. 409 रकबा 01.05 बिघा, ख.स. 410 रकबा 05 बिस्वा उपरोक्त वर्णित आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 नक्शा ट्रेस की प्रति पेश तथा नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढ़ा जावे। वर्णित वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 82 के खसरा नंबर 312, 314, 316, 316/1, 317, 408, 408/1, 409 व 410 में वादी ने प्रतिवादीगण प्रेम पत्नि मांगीया, सुगनाराम, कालुराम, सुरजाराम पि. मांगीया से उनका दर्ज हिस्सा 1/10 अर्थात् 6.34 बिघा, नारायण पुत्र घला का दर्ज 1/40 अर्थात् 1.585 बिघा भूमि खरीद कर एवं खसरा नंबर 312, 314, 316, 316/1, 408 व 408/1 में भोमाराम से 26/619 अर्थात् 2.60 बिघा कृषि भूमि खरीद कर विवादित भूमि में अपने आपको खातेदार काश्तकार जरिये रजिस्ट्री घोषित करवाया है खरीद अनुसार वादी का हिस्सा दर्ज रेकर्ड है तथा शेष विवादित भूमि प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज रेकर्ड है जिस पर प्रतिवादीगण अपने पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त कृषि भूमि करत चले आ रहे हैं जो पूर्वजों क कार्यकाल से आजदिनांक तक कब्जा काश्त कर रहे हैं वादी को बैचानकर्ता ने अपने कब्जे अनुसार वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया जिस पर वादी काबिज हो गया एवं काश्त करने लग गया जो मौके पर आज भी कर रहा है। एवं

  
 राजवन्तसिंह एवं सुखाण्ड अधिवक्ता  
 रायपुर (पाली)

शेष विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से अनुसार काशत कर रहे हैं विवादित भूमि वादी को बैचानकर्ता एवं प्रतिवादीगण के बीच में पूर्वजों के समय से बटी हुई हैं वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर रिकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से पर काबिज काशत चले आ रहे हैं, वादी एवं प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते में दर्शाई गयी है जिस कारण विवादित भूमि मौके के कब्जे व काशत के आधार राजस्व रिकॉर्ड में अलग लग तरमीम नहीं की हुई है वादी के खरीद दिनांक से ही प्रतिवादीगण ने अलग अलग तरमीम नहीं होने के कारण अपनी पालड़ोल को लेकर एवं अपने हिस्से की आराजी बोन के लिये रास्ते हेतु आए-दिन झगड़ा फसाद करने लग गये हैं इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 36 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते है। जिससे बचने के लिए बन्टवाड़ा करवाना ही उचित रास्ता है। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर, चाकर, ऐजेन्ट, मुखत्यार, मजदुर, मिस्त्री, हाली असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में वादी के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काशत आदि में किसी तरह की कोई दखलन्दाजी नहीं करें ना ही कोई बाधा अथवा अड़चन उत्पन्न करें, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करें, कि जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काशत आदि में कोई बाधा व/या अड़चन व/या अवरोध उत्पन्न होते हो।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी मौके पर कब्जा काशत एवं रिकॉर्ड के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करने की प्रार्थना करते है। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर बहस सुनी। वकील वादी माफिक रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाड़ा हेतु सहमत हैं। अतः माफिक रिकॉर्ड एवं मौके एवं कब्जा काशत अनुसार बन्टवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री एवं बटवाड़ा करने आदेश दिया गया। माफिक रिकॉर्ड एवं मौके एवं कब्जा काशत अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया एवं पालना हेतु तहरीर तहसीलदार रायपुर को जारी की गयी। आदेश की पालना मे तहसीलदार रायपुर ने विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/182 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा न्यायलय मे प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

राजस्व ग्राम व पटवार हल्का का नाम	नये खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
राजस्व ग्राम कालाकोट पटवार मण्डल सबलपुरा	महादेव जोर्यंद पुत्र खुमाराम पूर्ण हिस्सा कौम मेघवाल सा चावण्डिया कलां तहसील जैतारण खातेदार	312	1.2383	बा.अ.
		314	1.5864	बा. अ.
		316/मी.1	0.8399	बा. दो.
		316/1	0.0890	गै. मु. रास्ता
		316/2	0.4694	बा. दो.
		317	1.4569	बा. दो.
		408/मी.1	2.3437	बा. दो.
		408/मी.1	0.0890	गै.मु. रास्ता

  
 राजस्व कलेक्टर एवं उपायुक्त अधिकारी  
 रायपुर (पाली)

	कुल	408/2	0.4613	बा.दो.
		खसरा 9	रकबा 8.5739	
राजस्व ग्राम कालाकोट पटवार मण्डल सबलपुरा	चेलाराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार चोथी देवी पत्नि घीसाराम हिस्सा 2783/24100 कौम मेघवाल सा कालब कलां खातेदार दरिया पुत्री जेठाराम हिस्सा 50/723 कौम मेघवाल सा देह खातेदार दाकू देवी पुत्री चन्द्रा राम हिस्सा 313/3615 कौम मेघवाल सा देह खातेदार नाथूराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार पोकरराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार मंगलाराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार मांगीलाल पुत्र जोराराम हिस्सा 1147/3820 कौम मेघवाल सा देह खातेदार मोहनलाल पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार लक्ष्मी पुत्री भूशाराम हिस्सा 313/14460 जाति मेघवाल सा देह खातेदार वरदाराम पुत्र जोराराम हिस्सा 1147/4820 कौम मेघवाल सा देह खातेदार हंजा पत्नि उरजा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह	316/मी.2	0.6655	बा. दो.
		408/मी.2	0.7805	बा. दो.
	कुल	खसरा 2	रकबा 1.4460	

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव को शामिल मिसल किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी की द्वारा सुनी गई। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़े की अंतिम डिक्री जारी करने में सहमति व्यक्त की। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काशत अनुसार पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार एवं वकील वादी की सहमति के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करना न्यायोचित समझते हैं।

### आदेश


वादी का वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कालाकोट पटवार हल्का सबलपुरा के वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं, जो निम्न हैं :-

राजस्व ग्राम व पटवार हल्का का नाम	नये खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
राजस्व ग्राम कालाकोट पटवार	महादेव जोर्यंद पुत्र खुमाराम पूर्ण हिस्सा कौम मेघवाल सा चावण्डिया कलां तहसील जैतारण खातेदार	312	1.2383	बा.अ.
		314	1.5864	बा. अ.

3222  
तहसीलदार एवं उपवाण्ड अधिकारी  
रायपुर (पाली)

मण्डल सबलपुरा		316/मी.1	0.8399	बा. दो.
		316/1	0.0890	गै. मु. रास्ता
		316/2	0.4694	बा. दो.
		317	1.4569	बा. दो.
		408/मी.1	2.3437	बा. दो.
		408/मी.1	0.0890	गै.मु. रास्ता
		408/2	0.4613	बा.दो.
	कुल	खसरा 9	रकबा 8.5739	
राजस्व ग्राम कालाकोट पटवार मण्डल सबलपुरा	चेलाराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार चोथी देवी पत्नि घीसाराम हिस्सा 2783/24100 कौम मेघवाल सा कालब कलां खातेदार दरिया पुत्री जेठाराम हिस्सा 50/723 कौम मेघवाल सा देह खातेदार दाकू देवी पुत्री चन्द्रा राम हिस्सा 313/3615 कौम मेघवाल सा देह खातेदार नाथूराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार पोकरराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार मंगलाराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार मांगीलाल पुत्र जोराराम हिस्सा 1147/3820 कौम मेघवाल सा देह खातेदार मोहनलाल पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार लक्ष्मी पुत्री भूराराम हिस्सा 313/14460 जाति मेघवाल सा देह खातेदार वरदाराम पुत्र जोराराम हिस्सा 1147/4820 कौम मेघवाल सा देह खातेदार हंजा पत्नि उरजा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह	316/मी.2	0.6655	बा. दो.
	कुल	408/मी.2	0.7805	बा. दो.
	खसरा 2	रकबा 1.4460		


बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।



(सुरेश कुमार)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (पाली)


यह निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (पाली)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई  
( ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी )  
(Civil Procedure Code, Appendix "d" -1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला पाली  
बईजलास :- श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.


वादी	राजस्व वाद 85/2019 बनाम प्रतिवादीगण
1. महादेव जॉयद पुत्र खुमाराम उम्र 30 वर्ष जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया कल्लो तहसील जैतारण हॉल इन्दौर (मध्यप्रदेश)	1. मंगलाराम पुत्र उरजा 2. पोकरराम पुत्र उरजा 3. मोहनलाल पुत्र उरजा 4. नाथुराम पुत्र उरजा 5. चेला पुत्र उरजा 6. हंजा पत्नि उरजा 7. अनाराम पुत्र केसाराम 8. पुखाराम पुत्र अनाराम 9. संतोष देवी पुत्री अनाराम 10. चौथी देवी पत्नि घीसाराम 11. मलाराम पुत्र दुदाराम 12. ताराराम पुत्र ढगलाराम 13. तोलाराम पुत्र ढगलाराम 14. दीना पुत्री ढगलाराम 15. नर्बदा पुत्री ढगलाराम 16. मैना देवी पत्नि ढगलाराम 17. पदमा पुत्र कुना 18. हरिया पुत्र कुना फौत के का.मु. 18.6. लक्ष्मण पुत्र हरिया 18.7. प्यारेलाल पुत्र हरिया 18.8. राजु पुत्र हरिया 18.9. अशोक पुत्र हरिया 18.10. चौथी देवी पत्नि हरिया 19. गोपा पुत्र कुना फौत के का.मु. 19.1. नारायण पुत्र गोपा 19.2. रामपाल पुत्र गोपा 19.3. मदन पुत्र गोपा 19.4. भंवरी देवी पत्नि गोपा 19.5. ओम पुत्र गोपा फौत के का.मु. 19.5.1 सुरज पुत्र ओम 19.5.2. गोतम पुत्र ओम 19.5.3. ममता पुत्री ओम 19.5.4. शारदा पुत्री ओम 20. सन्तोष पुत्री जेठाराम 21. किरण पुत्री जेठाराम 22. सुन्दरी पत्नि जेठाराम 23. मुलाराम पुत्र बुधा 24. किशन पुत्र बुधा 25. विनोद पुत्र बुधा 26. सोनी देवी पत्नि बुधा 27. नेनीया पुत्र पुरा फौत के का.मु.

  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (पाली)

- 27.1. रूगाराम पुत्र नेनीया
- 27.2. घेवरराम पुत्र नेनीया
- 27.3. बालुड़ी पुत्री नेनीया
- 27.4. कमला पुत्री नेनीया
- 27.5. हंजा पत्नि नेनीया
28. मांगीया पुत्र जोरा
29. वरदा पुत्र जोरा
30. भोमा पुत्र जोरा
31. नारायण पुत्र झाला
32. गुलाबी पुत्री झाला
33. उमाराम पुत्र भुरा
34. मुलाराम पुत्र भुरा
35. डाली पुत्री भुरा
36. गोविन्द पुत्र वना
37. हुकमाराम पुत्र वना
38. गंगा पुत्री वना
39. कमला पुत्री वना
40. बादुड़ी पत्नि वना जातियान मेघवाल निवासीगण कालाकोट
41. तहसीलदार रायपुर

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरुबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव की अंतिम डिक्री जारी करने के निम्नानुसार आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व ग्राम व पटवार हल्का का नाम	नये खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
राजस्व ग्राम कालाकोट पटवार मण्डल सबलपुरा	महादेव जोयंद पुत्र खुमाराम पूर्ण हिस्सा कौम मेघवाल सा चावण्डिया कलां तहसील जैतारण खातेदार	312	1.2383	बा.अ.
		314	1.5864	बा. अ.
		316/मी.1	0.8399	बा. दो.
		316/1	0.0890	गै. मु. रास्ता
		316/2	0.4694	बा. दो.
		317	1.4569	बा. दो.
		408/मी.1	2.3437	बा. दो.
		408/मी.1	0.0890	गै.मु. रास्ता
	कुल	खसरा 9	रकबा 8.5739	
राजस्व ग्राम कालाकोट पटवार मण्डल सबलपुरा	चेलाराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार चोथी देवी पत्नि घीसाराम हिस्सा 2783/24100 कौम मेघवाल सा कालब कलां खातेदार दरिया पुत्री जेठाराम हिस्सा 50/723 कौम मेघवाल सा देह खातेदार दाकू देवी पुत्री चन्द्रा राम हिस्सा 313/3615 कौम मेघवाल सा देह खातेदार	316/मी.2	0.6655	बा. दो.
		408/मी.2	0.7805	बा. दो.


  
 सहयिक कलेक्टर एवं उपकाण्ड अधिकारी  
 रायपुर (पाली)

नाथूराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार पोकरराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार मंगलाराम पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार मांगीलाल पुत्र जोराराम हिस्सा 1147/3820 कौम मेघवाल सा देह खातेदार मोहनलाल पुत्र उरजा हिस्सा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह खातेदार लक्ष्मी पुत्री भूराराम हिस्सा 313/14460 जाति मेघवाल सा देह खातेदार वरदाराम पुत्र जोराराम हिस्सा 1147/4820 कौम मेघवाल सा देह खातेदार हंजा पत्नि उरजा 2786/72300 कौम मेघवाल सा देह			
कुल	खसरा 2	रकबा 1.4460	

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काशत की भूमि में काशत के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज.....मुबलिक.....बाबत..... खर्चा इस मुकदमें मय  
सूद व शहर .....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....  
.....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.04.2023 को जारी किया गया।

  
(सुरेश कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	05	00	स्टाम्प वकालतनामा	54	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प हाजरी		
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक	4	00
मुतफरिक	13	00	मीजान		
मीजान	19	00		58	00

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।